

# समाहरणालय, गोड्डा

(जिला भू-अर्जन शाखा)

E-Mail- [goddadlao@gmail.com](mailto:goddadlao@gmail.com)

प्रपत्र VI

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11 (1) के अधीन)

संख्या- 74/2016-17 (रेलवे) 1107 / भूअ0 गोड्डा दिनांक :- 21/9/18

चूँकि उपायुक्त, गोड्डा को यह प्रतीत होता है कि मौजा- लीलाम्बर सीट नं0-1, थाना नं0- 588, अंचल- महागामा, जिला- गोड्डा में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना गोड्डा से पीरपैती नई बी.जी. रेलवे लाईन निर्माण हेतु अपेक्षित है, इसलिए राज्य एस0 आई0 ए0 ईकाई ए.एम.सी.एस. प्राइवेट लिमिटेड, राँची सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन द्वारा कराया गया और एक प्रतिवेदन सौंपा गया। विशेषज्ञ समूह द्वारा सामाजिक समाघात प्रतिवेदन का मूल्यांकन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

विस्तृत प्रतिवेदन गोड्डा जिले के वेबसाइट:- [www.godda.nic.in](http://www.godda.nic.in) पर देखा जा सकता है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम- लीलाम्बर सीट नं0-1, थाना नं0- 588, अंचल- महागामा, जिला- गोड्डा, में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 7.522 एकड़ यानि ..... हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है।

क्रम सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़)	हिस्से की भूमि का रकवा (एकड़)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
								उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	4	निजी	धानी I	0.387	0.053975	देवेश्वर झा, माता- स्व0 उर्मिला देवी	रहीमकित्ता	8	अंश 4	5
2		9	निजी	धानी I	1.337	0.053975	भवेश झा, माता- स्व0 उर्मिला देवी	7, 8	हाजराचक	10	7
3						0.053975	आदित्य झा, माता- स्व0 उर्मिला देवी				
4						0.053975	मो0 मिला देवी, पति- स्व0 भोला झा				
5						0.1077	लड्डू झा, माता- स्व0 गुलाब देवी				
6						0.1077	गोपाल झा, माता- स्व0 गुलाब देवी				
7						0.2155	कमलाकान्त शुक्ल, पिता- स्व0 भोजू शुक्ल				
8						0.1077	संजय कुमार शुक्ला, पिता- स्व0 धनंजय शुक्ला				


9						0.1077	सुनिल कुमार शुक्ला, पिता- स्व० धनंजय शुक्ला					
10						0.1436	कैलाश शुक्ला, पिता- स्व० गणेश शुक्ल					
11						0.1436	प्रकाश शुक्ला, पिता- स्व० गणेश शुक्ल					
12						0.1436	चन्द्रकिशोर शुक्ला, पिता- स्व० गणेश शुक्ल					
13						0.431	शालीग्राम शुक्ला, पिता- स्व० प्रयाग शुक्ल					
14						0.353	मुन्ना सिकदार, माता- स्व० नुनीया देवी					
15						0.353	श्याम सिकदार, माता- स्व० बुधो देवी					
16						0.08825	मो० जिया देवी, पति- स्व० राम प्रसाद सिकदार					
17	8	5	निजी	धानी I	1.412	0.08825	मो० उर्मिला देवी, पति- स्व० श्री सिकदार	रहीमकित्ता	7	4	6	
18						0.08825	शिवसागर सिकदार, पिता- स्व० चरित्र सिकदार					
19						0.08825	छोटेलाल सिकदार, पिता- स्व० चरित्र सिकदार					
20						0.353	मो० जया देवी, पति- स्व० साधो सिकदार					
21						0.010925	मुन्ना सिकदार, माता- स्व० नुनीया देवी					
22						0.010925	श्याम सिकदार, माता- स्व० बुधो देवी					
23						0.0026	मो० जिया देवी, पति- स्व० राम प्रसाद सिकदार					
24	8	10	निजी	धानी II	0.043	0.0026	मो० उर्मिला देवी, पति- स्व० श्री सिकदार	9	हाजराचक	अंश 10	9	
25						0.0026	सिवसागर सिकदार, पिता- स्व० चरित्र सिकदार					
26						0.0026	छोटेलाल सिकदार, पिता- स्व० चरित्र सिकदार					
27						0.01075	मो० जया देवी, पति- स्व० साधो सिकदार					
28						0.55	महावीर भगत, पिता- स्व० लक्ष्मण भगत					
29						0.55	रघुनन्दन भगत, पिता- स्व० लक्ष्मण भगत					
30						0.55	तेजनारायण भगत, पिता- स्व० लक्ष्मण भगत					
31	9	6	निजी	धानी I	2.199	0.138	नरेश भगत, पिता- स्व० रामचरण भगत	रहीमकित्ता	7	5, 7	रहीमकित्ता	
32						0.138	दुर्गा भगत, पिता- स्व० रामचरण भगत					
33						0.138	दुःखन भगत, पिता- स्व० रामचरण भगत					

34						0.073	निर्मला देवी, पति- स्व0 मनोहर भगत					
35						0.0124	काशी प्र0 जायसवाल, माता- स्व0 रामसुन्दरी देवी					
36						0.0124	प्रयाग प्र0 जायसवाल, माता- स्व0 रामसुन्दरी देवी					
37						0.0124	गया प्र0 जायसवाल, माता- स्व0 रामसुन्दरी देवी					
38						0.0124	ज्ञानदेव प्र0 जायसवाल, माता- स्व0 रामसुन्दरी देवी					
39						0.0124	मनोज कुमार जायसवाल, माता- स्व0 रामसुन्दरी देवी					
40						0.714	सुशील कुमार चौबे, पिता- स्व0 रामजीवन चौबे					
41	11	7	निजी	धानी I	2.144	0.715	लालमणी देवी, पति- स्व0 स्व0 गणेश चौबे	6, 5	8, 9	4	6, 7 अंश	
42						0.715	रामसखी देवी, पति- स्व0 नरेश चौबे					
					कुल :-	7.522	7.522					

यह अधिसूचना भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। उपायुक्त, गोड्डा उक्त अधिनियम की धारा- 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा/अंचल अधिकारी, महागामा और उनके कर्मचारी- कानूनगो/अंचल निरीक्षक/अंचल अमीन/संबंधित राजस्व कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा- 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा- 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा श्री अनिल कुमार तिकी, अपर समाहर्ता, गोड्डा/श्री पवन कुमार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।


  
20/9/18  
उपायुक्त,  
गोड्डा।

ज्ञापांक 1107/भू0अ0 दिनांक :- 21/9/18 ।

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, गोड्डा को जिला गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, गोड्डा को प्रेषित । निदेश है कि इस अधिसूचना का प्रकाशन यथाशीघ्र दो हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों (स्थानीय संस्करण) में करने का कष्ट करेंगे । साथ ही प्रकाशित अधिसूचना का पेपर कटिंग जिला भू-अर्जन कार्यालय, गोड्डा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना-विज्ञान पदाधिकारी, गोड्डा को प्रेषित । निदेश है कि इस अधिसूचना को गोड्डा जिले के वेबसाइट में यथाशीघ्र प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे ।


  
20/9/18  
उपायुक्त  
गोड्डा ।

ज्ञापांक 1107/भू0अ0 दिनांक :- 21/9/18 ।

प्रतिलिपि :- अपर समाहर्ता, गोड्डा/अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा/भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गोड्डा/अंचल अधिकारी, महागामा/अधियाची पदाधिकारी, उपमुख्य अभियंता (निर्माण), पूर्व रेलवे, भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित । निदेश है कि इस अधिसूचना को यथाशीघ्र अपने कार्यालय में प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित । अनुरोध है कि अधिसूचित दाग संख्या में अवस्थित भौतिक संरचना का मूल्यांकन कर मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कष्ट करेंगे ।

प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, महागामा को निदेश है कि उक्त अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात सहज दृश्य स्थलों पर चिपकाना सुनिश्चित करेंगे ।


  
20/9/18  
उपायुक्त,  
गोड्डा ।

ज्ञापांक 1107/भू0अ0 दिनांक :- 21/9/18 ।

प्रतिलिपि - प्रमंडलीय आयुक्त, संधाल परगना प्रमंडल, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- निदेशक, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
20/9/18  
उपायुक्त  
गोड्डा ।